

Action taken Report in compliance of order dated 18.02.2022 passed by Honorable National Green Tribunal Principle Bench, New Delhi in Appeal no. 06/2022 (I.A. No. 29/2022) Prabhar Rai and Others V/s Union of India and others.

Background

A grievance application regarding a Common Bio-Medical Waste Facility (CBWTF) being allowed to setup in contravention of the guidelines for sitting criteria at Arazi No. 1006 falling in village- Paharpur, Post- Gotha Rasoolpur, Tehsil & District- Deoria, U.P. was filed by Prabhakar Rai and Others. Honorable National Green Tribunal considered this grievance application as Appeal No. 06/2022. Honorable National Green Tribunal passed order on dated. 18.02.2022 in Appeal No. 06/2022. The related portion of this order is as mentioned below:-

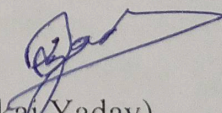
“.... In view of the above grievance of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the SEIAA, State PCB and District Magistrate, Deoria, Uttar Pradesh. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCF Support PDF and not in the form of Image PDF.....”

Accordingly and action taken report in compliance of order passed on dated 18.02.2022 by Honorable N.G.T. in Appeal No. 06/2022 has been prepared.

Action taken report

1. In Compliance of said order, U.P. Pollution Control Board (UPPCB) constitute a committee comprising of Member Secretary, SEIAA, District Magistrate Deoria and Regional Officer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur vide letter no. H 72699/C-6/SA-658/2022, dated. 11.03.2022. Copy of the said letter is a annexed as **annexure- 01**.
2. Member Secretary, SEIAA, U.P. Nominated Sri Umesh Chandra Sharma, Member SEAC-1 as member of Joint Committee vide order no. 1085/Pra/A.No. 06 of 2022/22 dated 21.03.2022. Copy of the said order is annexed as **annexure-02**
3. In compliance of order, Joint Committee visited the site of proposed CBWTF situated at Arazi No. 1006 falling in village- Paharpur, Post- Gotha Rasoolpur, Tehsil & District- Deoria, U.P. on dated 04.04.2022. Nominated Joint Committee Member, SEIAA, UP Sri Umesh Chandra Sharma, was not present during site visit of proposed CBWTF.
4. In Compliance of said order, a meeting of Members of Joint Committee as mentioned in order was held on 05.04.2022 in Chairmanship of District Magistrate, Deoria. Proceeding of the meeting and site inspection report is enclosed as **annexure-03**.
5. As per site inspection report of Joint Committee, Distance of Primary Health Centre (Presently non functional) from the proposed CBWTF is 166 meter.
6. As per site inspection report Joint Committee, Distance of nearest habitat/Population from proposed CBWTF is 184 meter.
7. A conditional consent to establish (CTE) for in question proposed CBWTF has been issued by UPPCB vide Letter No. 5008/UPPCB/Gorakhpur (UPPCBRO)/ CTE/ Deoria/2021, Dated 05.01.2022.

8. State Level Environment Impact Assessment Authority, UP has issued Environment clearance Vide Letter No. MOEF CC Proposal No-SIA/UP/MIS/55933/2021 & SEIAA, UP File No. 5790 Dated 03.12.2021
9. Point No. 6 (b) of Revised Guidelines for Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facility Dated 21.12.2016 of Central Pollution Control Board (CPCB), describes Location criteria of a CBWTF. As per Point 6 (b) of Location criteria a CBWTF can be located at a place reasonably far away from notified residential and sensitive areas and should have a buffer distance of preferably 500 m so that it shall have minimal impact on these areas. In case of non-availability of such a land the buffer zone distance from the notified residential area may be reduced to less than 500 m by SPCB/PCC without referring the matter to SPCB by prescribing additional control measures such as :-
 - (i) adoption of best available technologies (BAT) by the proponent of CBWTF;
 - (ii) prescribing stringent standards for operation of the CBWTF by the SPCB/PCC
 - (iii) Adoption of zero liquid discharge by the CBWTF
 - (iv) In case of any complaints from the public, then CBWTF should prove that the facility is not causing any adverse impact on environment and habitation in the vicinity. If SPCB/PCC is not in a position to resolve the issue relating to buffer zone while selecting the site for CBWTFs, in such a case, SPCBs/PCCs may refer the matter to CPCB.
10. A conditional CTE to in question proposed CBWTF has been issued by UPPCB taking into consideration the provisions described in point no. 6 (b) of Revised Guidelines for Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facility dated 21.12.2016 of CPCB. In point no. 33 of CTE Dated 05.01.2022 issued by UPPCB to proposed CBWTF it has been clearly mentioned that concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned in CTE may result in withdrawal of this CTE and attract action under the provisions of Law.


(Pankaj Yadav)
Regional officer
U.P.State Pollution Control Board
Gorakhpur

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543

E-mail : doeuplko@yahoo.com

Website : www.seiaaup.com

पत्रांक : /पर्या0/अ0 संख्या-06 ऑफ 2022/22

दिनांक: 21 मार्च, 2022

आदेश

कृपया सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0- एच0 72899/सी0 -8/ सा0-658/2022 दिनांक 11-3-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न), जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-06/2022: (आई0ए0 नं0-29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18-02-2022 जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

... "2. In view of the above grievance of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the SEIAA, State PCB and District Magistrate-Deoria, Uttar Pradesh. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. List the matter for consideration on 25/05/2022..".

पारित संगत आदेश दिनांक 18-2-2022 में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, (SEIAA) उ0प्र0, एवं जिलाधिकारी, देवरिया की एक संयुक्त कमेटी का गठन करते हुए समिति द्वारा 04 सप्ताह में बैठक तथा स्थलीय निरीक्षण कर 03 माह में फैक्टुअल एवं ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट सम्बन्धी अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने के हेतु निर्देश पारित किये गये हैं। प्रकरण में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल नामित किया गया है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ दिनांक 11-3-2022 द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर उक्त गठित संयुक्त समिति में सदस्य नामित किया गया है, जिनका (मो0नं0 07839891824), ई-मेल rogorakhpur@uppcb.in है।

उपरोक्त कार्य हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उ0प्र0 के प्रतिनिधि के रूप में श्री उमेश चन्द्र शर्मा, सदस्य एस0ई0ए0एसी0-1 (मो0 नं0-08630339084, 09760013127) को उक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है। उक्त प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 25-05-2022 नियत है।

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव,

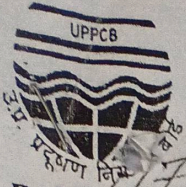
एस0ई0आई0ए0ए0

पत्रांक: 1085 /पर्या0/मा0 एन0जी0टी0/ओ0ए0 सं0-203 ऑफ 2021/21, तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, एस0ई0आई0ए0ए0, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, एस0ई0ए0सी0, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, जनपद-देवरिया, उ0 प्र0।
5. श्री उमेश चन्द्र शर्मा, सदस्य एस0ई0ए0एसी0-1 उ0 प्र0, लखनऊ।

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव,



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

अर्चना श्री
26-3-22

Ref. No. 72699/सी-6/साठ-658/...../2022

Dated 11-3-22

मा० एन०जी०टी० प्रकरण/
ई-मेल द्वारा

सेवा में,

1. सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण
पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर,
लखनऊ।

2. जिलाधिकारी,
देवरिया।

विषय: मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित अपील नं० 6/2022 (आई.ए. नं० 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित अपील नं० 6/2022 (आई.ए. नं० 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित संलग्न आदेश दिनांक 18.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....In view of the above grievance of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the SEIAA, State PCB and District Magistrate-Deoria, Uttar Pradesh. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for consideration on 25/05/2022....."

मा० अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), उ०प्र० एवं जिलाधिकारी, देवरिया की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं 04 सप्ताह में बैठक तथा 03 माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मा० अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को नामित किया जाता है, जिनका मो० 07839891824, ई-मेल rogorakhpur@uppcb.in है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कमेटी हेतु अपने विभाग से सदस्य को नामित करते हुये सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या निर्धारित समयावधि में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की जा सके।

भवदीय,

संलग्नक:-यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या मा० अधिकरण में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

ADM(FIR) क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी

कृपया तत्काल कार्रवाई करें

सदस्य सचिव

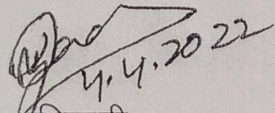
महोदय,

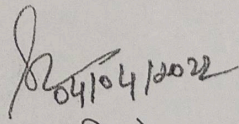
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के आदेश दिनांक 02 अप्रैल, 2022 जिसमें मा0 हरित अधिकरण के समक्ष योजित अपील सं0-06/2022 प्रभाकर राय बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में ग्राम पहाड़पुर पोस्ट-गौठारसूलपुर तहसील व जिला-देवरिया के आ0सं0-1006 पर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल प्लान्ट स्थापित किये जाने के विरुद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 तथा रिवाइज्ड गाइडलाइन्स फॉर कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी दिनांक 21.12.2016 में दिये गये निर्देश के क्रम में स्थलीय जाँच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु जो निर्देश प्राप्त हुआ था, उसके अनुपालन क्रम में दिनांक 02.04.2022 को गठित टीम की उपस्थिति एवं निर्देशन में स्थलीय एवं अभिलेखीय परीक्षण व आवश्यक पैमाइश की गई, जिससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1. निर्माणाधीन CBWTE यूनिट से ग्राम की निकटतम आबादी जो शिकायतकर्ता श्री प्रभाकर राय का मकान है, कुल 184 मीटर की दूरी पर स्थित है। यही से ग्राम की आबादी प्रारम्भ हो जाती है।
2. ग्राम का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो जर्जर अवस्था में है तथा सामुदायिक शौचालय भी इसके सटे है, CBWTE केन्द्र से कुल 166 मीटर पर स्थित है।
3. CBWTE यूनिट से 1.5 किमी दक्षिण ग्राम भगवानपुर की आबादी स्थित है। पश्चिम 1 किमी की दूरी पर ग्राम सुरचक की आबादी स्थित है तथा पूरब लगभग 2 किमी पर ग्राम धनौती रजडीहा की आबादी स्थित है।

ग्रामीणों द्वारा यह बयान दिया गया कि उक्त बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल प्लान्ट के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की लोक सुनवाई ग्रामीणों के समक्ष नहीं की गयी।

अतः आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।


क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर


उप जिला मजिस्ट्रेट
देवरिया सदर।

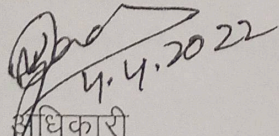
महोदय,

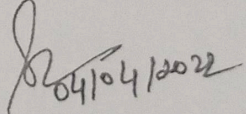
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के आदेश दिनांक 02 अप्रैल, 2022 जिसमें मा0 हरित अधिकरण के समक्ष योजित अपील सं0-06/2022 प्रभाकर राय बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में ग्राम पहाड़पुर पोस्ट-गौठारसूलपुर तहसील व जिला-देवरिया के आ0सं0-1006 पर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल प्लान्ट स्थापित किये जाने के विरुद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 तथा रिवाइज्ड गाइडलाइन्स फॉर कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी दिनांक 21.12.2016 में दिये गये निर्देश के क्रम में स्थलीय जाँच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु जो निर्देश प्राप्त हुआ था, उसके अनुपालन क्रम में दिनांक 02.04.2022 को गठित टीम की उपस्थिति एवं निर्देशन में स्थलीय एवं अभिलेखीय परीक्षण व आवश्यक पैमाइश की गई, जिससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

1. निर्माणाधीन CBWTE यूनिट से ग्राम की निकटतम आबादी जो शिकायतकर्ता श्री प्रभाकर राय का मकान है, कुल 184 मीटर की दूरी पर स्थित है। यही से ग्राम की आबादी प्रारम्भ हो जाती है।
2. ग्राम का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो जर्जर अवस्था में है तथा सामुदायिक शौचालय भी इसके सटे है, CBWTE केन्द्र से कुल 166 मीटर पर स्थित है।
3. CBWTE यूनिट से 1.5 किमी दक्षिण ग्राम भगवानपुर की आबादी स्थित है। पश्चिम 1 किमी की दूरी पर ग्राम सुरचक की आबादी स्थित है तथा पूरब लगभग 2 किमी पर ग्राम धनौती रजडीहा की आबादी स्थित है।

ग्रामीणों द्वारा यह बयान दिया गया कि उक्त बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल प्लान्ट के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की लोक सुनवाई ग्रामीणों के समक्ष नहीं की गयी।

अतः आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।


क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर


उप जिला मजिस्ट्रेट
देवरिया सदर।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या-6/2022, (I.A. No. 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में दिनांक 05.04.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या-6/2022, (I.A. No. 29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में आज दिनांक 05.04.2022 को अधोहस्ताक्षरी के कैम्प कार्यालय पर बैठक आयोजित किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थिति हुए :-

- 1- जिलाधिकारी, देवरिया।
- 2- श्री कुँवर पंकज, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देवरिया।
- 3- श्री सौरभ सिंह, उप जिलाधिकारी-सदर, देवरिया।
- 4- श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

श्री उमेश चन्द्र शर्मा, सदस्य एस0ई0ए0एसी बैठक में अनुपस्थित थे। इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री उमेश चन्द्र शर्मा को पत्राचार द्वारा आज की बैठक के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी, (संलग्नक-1) किन्तु वह आने में असमर्थ रहे। कारण पूछने पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री उमेश चन्द्र शर्मा से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में यह बताया गया कि उनको अपने सम्बन्धित विभाग द्वारा नामित करने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है।

जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-1071/आ0लि0-2022, दिनांक 02, अप्रैल, 2022 के माध्यम से श्री सौरभ सिंह, उप जिला मजिस्ट्रेट-सदर, देवरिया एवं श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर की संयुक्त टीम का गठन करते हुए शिकायती स्थलीय जाँच हेतु आदेशित किया गया। टीम द्वारा की गयी जाँच संलग्न है। (संलग्नक-2)

जाँच आख्या के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :-

- 1- शिकायती स्थल से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (वर्तमान में जर्जर एवं अप्रयुक्त अवस्था में) की दूरी - 166 मीटर
- 2- प्रस्तावित स्थल से निकटतम आबादी की दूरी - 184 मीटर

अतिरिक्त कथन :-

जिलाधिकारी द्वारा यह पूछा गया कि जब यह दूरी 500 मीटर से भी कम थी, तो इसका पर्यावरणीय स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र इकाई को कैसे निर्गत किया गया? इस सन्दर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जो आख्या प्रेषित की गयी थी, उसमें निकटतम आबादी लगभग 200 मीटर दर्शायी गयी थी। कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल फेसिलिटीज़ की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार यदि उद्योग की दूरी निकटतम आबादी से 500 मीटर से कम है तो निम्नलिखित शर्तों के साथ इकाई की स्थापना करनी होती है :-

- (i) adoption of best available technologies (BAT) by the proponent of CBWTF.
- (ii) rescribing stringent standards for operation of the CBWTF by the SOCB/PCC.
- (iii) adoption Zero liquid discharge by the CBWTF and
- (iv) in case of any complaints from the public, then CBWTF should prove that the facility is not causing any adverse impact on environment and habitation in the vicinity. If SPCB/PCC is not in a position to resolve the issue relating to buffer zone while selecting the site for CBWTFs, in such a case, SPCBs/PCCs may refer the matter to CPCB.

आशुतोष

12
13
14
15
16
17
1

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत इकाई को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-5008/UPPCB/Gorakhpur(UPCCBRO)/CTE/DEORIA/2021, दिनांक 05.01.2022 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इकाई को स्टेट लेवल इनवार्यनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट अथारिटी, उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या-MoEFCC Proposal no-SIA/UP/MIS/55933/2021 & SEIAA, U.P. File no.-5790, के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व दिनांक 15.04.2021 को आहूत लोक सुनवाई का कार्यवृत्त संलग्न है। (संलग्नक-3) शिकायती स्थल की जाँच के समय उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा यह भी शिकायत की गयी कि उनको पूर्व में हुई लोक सुनवाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी एवं लोक सुनवाई के समय गांव के लोग कम थे, जबकि बाहर के लोग ज्यादा थे। इस पर क्षेत्रीय अधिकारी ने अवगत कराया कि दिनांक 15.04.2021 को सम्पन्न लोक सुनवाई की उपस्थिति पंजिका एवं वीडियोग्राफी संरक्षित है।
संलग्नक-यथोपरि।

(आशुतोष निरंजन)
जिलाधिकारी,
देवरिया।

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया।

संख्या 285/आ0लि0-2022,

दिनांक 05 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, एस0ई0आई0ए0ए0, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- उप जिलाधिकारी-सदर, देवरिया।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड, गोरखपुर।

आशुतोष
जिलाधिकारी,
देवरिया।